

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/162/2018

प्रवेश तिथि
29-10-2018

निर्णय दिनांक
07-08-2019

01- सरूप खां पुत्र मुंशी खां जाति मेव निवासी ग्राम बास कैरवाड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

—रेस्पौडेन्ट

02- सराफ खां पुत्र मुंशी खां जाति मेव निवासी ग्राम बास कैरवाड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राजस्थान।

—तरतीबी रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा
दिनांक 27.09.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 30/2018

उपस्थित:-

01-श्री अमरचंद चौधरी

—वकील अपीलाण्ट

निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 27.09.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम कैरवाड़ा की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 1.20 है0 अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कैरवाड़ा की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 1.20 है0 अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 10.08.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.10.2018 को कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का हल्दीना द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 03.04.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)